न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2054–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–6–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 22/पुनरीक्षण/09–10

.....

1 महेन्द्रसिंह आ0 रामलाल खत्री
निवासी बेसवा
2 नरेन्द्र कुमार आ0 रामलाल खत्री
निवासी चौबे कॉलोनी हरदा
3 राजेन्द्र कुमार आ0 रामलाल खत्री
निवासी एल0आई0जी0 कमांक 4 हरदा
4 शैलेन्द्र कुमार आ0 रामलाल खत्री
निवासी एल0आई0जी0 कं0 4 हरदा

.....आवेदकगण

विरूद्ध

कु0 रंजना पुत्री रामलाल खत्री
निवासी अन्नापुरा हरदा

.....अनावेदिका

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री नितिन स्थापक, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 13 मई. 2014)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–6–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा नायब तहसीलदार, हंडिया के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बेसवां तहसील एवं जिला हरदा स्थित भूमि सर्वे कमांक 27/1, 51/2 एवं 27/2 रकबा 23.79 एकड़ रामप्यारी बाई की स्वअर्जित भूमि है । रामप्यारीबाई का दिनांक 12–12–2007 को स्वर्गवास हो गया है । स्वर्गीय रामप्यारीबाई द्वारा अनावेदक के पक्ष में पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित किया गया है, अतः उक्त भूमियों पर स्वर्गीय रामप्यारीबाई के स्थान पर उसका नाम अंकित किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 32/अ–6/07–08 दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा भी इस आशय का जबाब प्रस्तुत किया गया कि स्वर्गीय रामप्यारीबाई द्वारा उनके पक्ष में दिनांक 19–10–2007 को वसीयतनामा निष्पादित किया गया है और यदि अनावेदिक द्वारा कोई दस्तावेज अथवा लेख प्रस्तुत किया गया है तो वह वास्तविक एवं स्वेच्छापूर्वक निष्पादित नहीं होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है । अतः वसीयतनामे के अनुसार उसमें उल्लिखित रामप्यारीबाई के पुत्रों के नाम प्रश्नाधीन भूमि पर अंकित किये जाये एवं अनावेदिका का आवेदन पत्र निरस्त किया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 6–12–2008 को इस आशय का आदेश पारित किया गया कि उभयपक्ष द्वारा अपने अपने समर्थन में वसीयतनामें प्रस्तुत किये गये हैं, इसलिये प्रश्नाधीन भूमि में स्वत्व संबंधी विवाद उत्पन्न हो गया है । वसीयतनामें की सत्यता एवं स्वत्व के निराकरण हेतु व्यवहार न्यायालय सक्षम है, अतः उभयपक्ष अपने वसीयतनामें एवं स्वत्व संबंधी दावा व्यवहार न्यायालय से निराकरण कराने के उपरान्त इस न्यायालय में प्रस्तुत करे । स्वत्व संबंधी विवाद के कारण आवेदन पत्र का निराकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। उभयपक्ष अपने स्वत्व का निराकरण व्यवहार न्यायालय से कराने के उपरान्त नामांतरण का आवेदन पत्र प्रस्तुत करें । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा निगरानी कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 18–8–2009 को आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार, हंडिया का आदेश निरस्त किया गया एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वह संहिता की धारा 109, 110 के प्रावधानों का पालन करते हुये गुणदोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा निगरानी अपर आयुक्त के

समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 14–6–2012 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) राजस्व प्रकरण में पारित आदेश के विरूद्ध अपील का प्रावधान है और उक्त तर्क आवेदकगण की ओर से कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, परन्तु कलेक्टर द्वारा उनके तर्को पर विचार किये बिना अपीलीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का मामला होते हुये भी पुनरीक्षण सुनवाई हेतु ग्राह्य कर उसमें जो आदेश पारित किया गया है वह क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य था, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा आदेशात्मक प्रावधानों को अनदेखा कर जो आदेश पारित किया गया है वह निरस्ती योग्य है ।

(2) अनावेदिका द्वारा व्यवहार न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में आवेदकगण के विरूद्ध व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया है, अतः व्यवहार वाद का निराकरण होने के पश्चात ही राजस्व न्यायालय द्वारा स्वत्व के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही की जा सकती है । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि स्वत्व के जटिल प्रश्नों के निराकरण हेतु व्यवहार न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हो तो राजस्व न्यायालयों को नामांतरण की कार्यवाही व्यवहार न्यायालय के निराकरण होने के बाद ही करना चाहिये ।

(3) प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में वसीयतनामें के आधार पर आवेदकगण द्वारा अपने स्वत्व एवं हक के निर्धारण हेतु व्यवहार वाद कमांक 871/ए/09 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2 हरदा द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 29–8–2012 को पारित किया गया है, अतः व्यवहार न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में भी तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–12–2008 स्थिर रखे जाने योग्य है एवं आवेदकगण की निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा तहसीलदार द्वारा की जा रही नामांतरण की कार्यवाही के संबंध में कोई स्थगन नहीं दिया गया है, केवल प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण के कब्जे में अनावेदिका द्वारा दखल नहीं दिये जाने संबंधी स्थगन आदेश पारित किया गया है,

इसलिये व्यवहार न्यायालय के स्थगन आदेश के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । यह भी कहा गया कि वसीयतनामा प्रस्तुत होने मात्र से स्वत्व का प्रश्न उपस्थित होने का निष्कर्ष उचित नहीं है । तहसीलदार को दस्तावेज की जांच कर निष्कर्ष निकालना चाहिये और सही एवं विधिक दस्तावेजों के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही करना चाहिये । उनके द्वारा अपर आयुक्त के आदेश को स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । संहिता की धारा 110 की उपधारा 4 में प्रावधानित है कि तहसीलदार हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात तथा ऐसी अतिरिक्त जॉच जैसी कि वह आवश्यक समझे करने के पश्चात क्षेत्र पुस्तक तथा अन्य सुसंगत भू–अभिलेख में आवश्यक प्रविष्टि करेंगे । संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत बने नामांतरण नियमों के नियम 32 में विवाद, साक्ष्य के आधार पर निपटाये जाने के अधिकार तहसीलदार को दिये गये है । उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत तहसीलदार को उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत वसीयतनामा की जांच कर विधिक दस्तावेज के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही करना चाहिये थी, परन्तु उनके द्वारा उक्त कार्यवाही नहीं कर स्वत्व का प्रश्न उपस्थित होना मानकर व्यवहार न्यायालय से निराकरण के निर्देश देने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । क्योंकि उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप संक्षिप्त जांच कर स्वत्व के आधार पर नामांतरण करने का अधिकार तहसीलदार को है । इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठाया गया यह आधार उचित नहीं है कि व्यवहार वाद प्रचलित होने के कारण व्यवहार न्यायालय से व्यवहार वाद के निराकरण के उपरान्त ही तहसीलदार नामांतरण की कार्यवाही कर सकते है, कारण विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि मात्र व्यवहार वाद प्रस्तुत किये जाने से राजस्व न्यायालय नामांतरण कार्यवाही करने से विबन्धित नहीं हो जाते है, जब तक कि व्यवहार न्यायालय से अथवा वरिष्ठ न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर प्रस्तुत न कर दिया जाये । आवेदकगण की ओर से लिखित तर्क के समर्थन में व्यवहार न्यायालय के जिस आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है वह प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण के आधिपत्य में अनावेदिका द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने के संबंध में स्थगन आदेश है, तहसीलदार की कार्यवाही के संबंध में कोई स्थगन नहीं है, इसलिये उक्त आदेश

के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार का आदेश उचित नहीं ठहराया जा सकता है । लिखित तर्क में उठाया गया यह आधार भी उचित नहीं है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अंतिम प्रकृति का था, जिसके विरूद्ध अपील होना थी, परन्तु कलेक्टर द्वारा निगरानी ग्राह्य कर आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । क्योंकि तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 6–12–2008 को अंतरिम प्रकृति का आदेश पारित किया गया है, तत्पश्चात दिनांक 2–4–2009 को प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । इस प्रकार दिनांक 6–12–2008 को प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण नहीं होकर दिनांक 2–4–2009 को हुआ है । दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसंगत आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–6–2012 विधिसंगत एवं औचित्यपूर्ण होने से स्थिर रखा जाता हैं। निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर